Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(देहरादू
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 31 / 2025

श्री नरेन्द्र कुमार सूद,
निवासी– लेन सी–20,
राम मंदिर, टर्नर रोड,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 10.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " मेरा संयोजन संख्या SD25512393752 है मेरे घर पर मीटर संख्या U930447 स्थापित है। पिछले एक साल से हमारा बिल CDF Basis पर आ रहा है। जो सामान्य से बहुत अधिक है जिसकी सूचना देने पर चेक मीटर लगाने का सुझाव दिया गया कि आप अपने संयोजन पर चेक मीटर लगा लिजिये। जिसका शुल्क मेरे द्वारा

रसीद स० 14477240325WS990049 दिनांक 24/03/2025 Online माध्यम से जमा कर दिया गया। जिसपर आज तक कोई कारवाई नहीं कि गई जिसके कारण मेरा बिल बढता जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा विद्युत बिल संसोधन कराने कि कृपा करें, साथ ही नियम अनुसार छतिपूर्ति दिलाने कि कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 382, दिनांकित 06/08/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि:–

"उपभोक्ता द्वारा पिछले 01 वर्ष से उनका बिल अधिक एवं सी०डी०एफ० में आने की शिकायत की गई है। अवगत कराना है कि उपभोक्ता को निर्गत सभी बिल रीडिंग के आधार पर ही प्रषित किये गये है। साथ ही दिनांक –05.08.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित करा दिया गया है। चैक मीटर एवं मेन मीटर में अन्तर आने की स्थिति में तदानुसार बिल संशोधन कर मा० मंच मे आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 478, दिनांकित 01/09/2025 से मंच को अतगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया तथा, मैन मीटर एवं चैक मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अतः उपभोक्ता को जो बिल निर्गत किये गये है वे मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(देहरादून
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट एवं कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को नियमित बिल चक्रों में वास्तविक खपत *(MU'S)* के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, (न की CDF के आधार पर जैसा कि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है) जो नियामानुसार सही है, एवं परिवादी का विद्युत मापक भी वास्तविक खपत का ही अंकन कर रहा है, जिसकी पुष्टी चैक मीटर की फाईनल रिपोर्ट दिनांक 25.08.2025 से हो जाती है तथा इस प्रकार परिवादी के विद्युत बिलों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति मे परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/09/2

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 32/2025

श्री नन्दकिशोर लोधी **परिवादी**
निवासी– गली नं0–05,
सुमन विहार बापूग्राम,
ऋषिकेश देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 15.09.2025

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके परिसर में पूर्व से संचालित विद्युत संयोजन के होते हुए भी बिना उनकी अनुमति के एक ही परिसर में अवयुक्त दूसरे अवैधानिक विद्युत संयोजन को विच्छेदित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है:–

"कि प्रार्थी द्वारा परिसर बापूग्राम मार्ग, बीस बीधा तिराहा, पो0–वीरभद्र, ऋषिकेश जिला देहरादून में विद्युत वितरण उपखण्ड, वीरभद्र ऋषिकेश द्वारा अवैधानिक रूप से एक ही परिसर में दूसरा विद्युत संयोजन बिना हमारी अनुमति के/संज्ञान में लाये विद्युत संयोजन किये जाने के विरूद्ध मेरे द्वारा दि0 19.03.2025 को श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/अधि0 अभियन्ता, वि0वि0खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश एवं उक्त तिथि को ही उपखण्ड अधिकारी,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248C
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

वि०वि०खण्ड, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश को प्रेषित किया गया जिसमें मेरे द्वारा समय – समय पर उपखण्ड अधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि भविष्य में उक्त विधुत संयोजन विच्छेदित किया जाए जिससे दो विद्युत संयोजन एक साथ होने पर किसी भी प्रकार का हादसा अन्य नजदीक आवासीय क्षेत्र में होता है तो उसके लिये सम्पूर्ण रूप से विद्युत विभाग उत्तरदायी होगा।

मेरा आपसे निम्न बिन्दुवार पंत्राक एवं की गयी कार्यवाही हेतु समय – समय पर दिये गये पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निवेदन है कि पत्रों का अवलोकन करते हुए किये गये अवैधानिक विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने का कष्ट करेंगें।

1. मेरे द्वारा दिये गये दि० 19.03.2025 के साथ संलग्न अधि०अभि० वि०वि०खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश साथ ही उप०अधि०वि०वि०खण्ड, उपखण्ड हरिद्वार ऋषिकेशको भी अवगत कराया गया।
2. उक्त पत्रों में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने से मेंरे द्वारा लो०सू०अ०/उप०अधि०वि०वि०खण्ड, उपखण्ड हरिद्वार रोड, ऋषिकेश में अवैधानिक संयोजन में लिप्त किसी भी प्रकार कें अवैधानिक संयोजन की कार्यवाही करते हुए उक्त संयोजन को विच्छेदित करने की कार्यवाही करने में कष्ट करेंगे।
3. मेंरे द्वारा दिनांक 19.03.2025 के पत्र में चार बिन्दुओं को आधार बनाकर देवेन्द्र सिंह द्वारा लगाये गये दूसरे विद्युत संयोजन को तुरन्त विच्छेदित करने कि कार्यवाही के लिये आग्रह किया गया था।

- जिसमें उपार विलेख (दान पत्र) की छायाप्रति।
- विद्युत कनैक्शन एवं विद्युत बिलों कें भुगतान रसीद की छायाप्रति।
- सम्पति में पूर्व में मेरे द्वारा लगाया गया विद्युत संयोजन के फोटो की मूल प्रति।
- श्रीमान चौकी इन्चार्ज, आई.डी.पी.एल, ऋषिकेश, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश जिला देहरादून में प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति मेरे द्वारा उपरोक्त अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत कराया गया कि मैं एवं मेरी पत्नी सरकारी सेवा शिक्षक के रूप में सेवारत होने के कारण परिसर बन्द रहता है एवं हमारे परिसर के आसपास कई परिवार निवास करते है। विद्युत विभाग द्वारा जो अवैधानिक विद्युत संयोजन

बिना हमारी जानकारी में लाये हुए दिया गया है, की किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि होती है तो उसके लिये सम्पूर्ण रूप से विद्युत विभाग उत्तरदायी होगा।

4. *किन्तु विभाग की लापरवाही एवं गलत विद्युत संयोजन के पत्रजातों में लीपापोती एवं जनहानि को ध्यान में न रखते हुए मुझे विवश होकर अपीलीय अधिकारी अधि०अभि०वि०वि०खण्ड, शैल विहार ऋषिकेश में अपील हेतु प्रार्थनापत्र देने हेतु विवश होना पड़ा। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना पूर्व में चले आ रहें पत्रावली का अध्ययन न करते हुए अपील में लिख दिया गया है कि आप लोक सूचना अधिकारी की सूचना से सन्तुष्ट हैं जबकि ऐसा पत्र उनके पास उपलब्ध हो तो हमें उनकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगें।*

अतः महोदय प्रार्थी दिनांक 20.06.2025 को हुई सुनवाई से पूर्णतः असन्तुष्ट हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे द्वारा दोनों अधिकारियों के संज्ञान में लाये गये पूर्ण पत्रावली/प्रार्थनापत्रों को अवलोकन कराते हुए हमें भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करेंगें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 734, दिनांकित 06/08/2025 से मंच को निम्नवत अवगत करवाना है कि :–

1. *यह कि शिकायतकार्ता/उपभोक्ता श्री नन्द किशोर लोधी पुत्र श्री जसवंत सिंह लोधी, 20–बीघा तिराहा, पो०–वीरभद्र, ऋषिकेश को वाणिज्यि विद्युत संयोजन सं० RK62105134357 दिनांक –02.02.2024 को 03 गुणा जमानत धनराशि के आधार पर निर्गत किया गया था। (दस्तावेज संलग्न)*

2. *यह कि उक्त परिसर पर ही काबिज श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, 20–बीघा, ऋषिकेश को घरेलू विद्युत संयोजन (सं० RK13052303536) दिनांक– 15.03.2025 को* **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Releated Matters) Regulation, 2020** *के* **Sub regulation 3.3.3** *के 11 में उल्लेखित 03 गुणा जमानत धनराशि के आधार पर निर्गत किया गया था।*

3. *यह कि दोनों उपभोक्ताओं का उक्त सम्पति पर आपसी विवाद चल रहा है और यदि उक्त दोनों उपभोक्ता, म सक्षम न्यायालय से संयोजन विच्छेदन किये जाने सम्बन्धी आदेश इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हैं अथवा उन द्वारा अपने संयोजन विच्छेदन हेतु आवेदन किया जाता है तो संयोजन विच्छेदन की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायत पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी के वाणिज्यक विद्युत संयोजन संख्या RK6210513435' दिनांक 02.02.2024 को 03 गुणा जमानत धनराशि के आधार पर निर्गत किया गया था, एवं श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, 20–बीघा, ऋषिकेश को घरेलू विद्युत संयोजन संख्या RK13052303536 दिनांक– 15.03.2025 को 03 गुणा जमानत धनराशि के आधार पर निर्गत किया गया था।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान मंच को अवगत कराया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, 20–बीघा, ऋषिकेश को घरेलू विद्युत संयोजन सं० RK13052303536 दिनांक– 15.03.2025 को अवमुक्त किये जाने के समय उनके विद्युत संयोजन सख्या RK62105134357 की outgoing cable काट दी और श्री देवेंन्द्र सिंह को पृथक घरेलू संयोजन निर्गत कर दिया। सुनवाई में प्रस्तुत अभिलेखों एवं विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि पूर्व में उक्त पूरे परिसर मे 5 किलोवाट का वाणिज्यक संयोजन श्री नन्द किशोर लोधी के नाम से निर्गत किया गया था, और कालांतर मे विपक्षी द्वारा उक्त संयोजन की outgoing cable को काटकर एक नया विद्युत संयोजन घरेलू विधा में श्री देवे सिंह जिनहोने परिवादी के अनुसार सम्पत्ति के प्रथम तल पर ताला तोड़कर अतिचार कर लिया है, के नाम से निर्गत कर दिया जो कि अवैधानिक है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया है कि उक्त घरेलू संयोजन को विच्छेदित करवाने के आदेश पारित करे। परिवादी के अनुरोध के क्रम में श्री देवेन्द्र सिंह को विपक्षी द्वारा निर्गत घरेलू विधा के संयोजन के

संबंध में मंच द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) का संज्ञान लिया जिसमें प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी कि भी परिसर के मालिक या अधिभोगी के आवेदन पर, आपूर्ति की आवश्यकता वाले आवेदन की प्राप्ति के एक महीने भीतर ऐसे परिसर को बिजली की आपूर्ति करेगा। 2003 के अधिनियम की धारा 43 (1) वितरण लाइसेंसधारी पर मालि या अधिभोगी द्वारा आवेदन किए जाने पर बिजली की आपूर्ति करने का सकारात्मक दायित्व डालती है। बिजली व आपूर्ति की आवश्यकता के लिए मालिक या अधिभोगी को कानून द्वारा एक संगत हक या अधिकार प्रदान किया गर है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंदू खमारू बनाम श्रीमती नयन मलिक में 2003 के अधिनियम की धारा 43(1) के प्रावधान की व्याख्या करतें हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:–

It will be clear from sub-section (1) of Section 42 that every distribution licensee has a duty to develop and maintain an efficient co-ordinated and economical distribution system in his area of supply and to supply electricity in accordance with the provisions contained in this Act. Sub-section (1) of Section 43 provides that every distribution licensee, shall,on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply. These provision in the Electricity Act, 2003 make it amply clear that a distribution licensee has a statutory duty to supply electricity to an owner or occupier of any premises located in the

area of supply of electricity of the distribution licensee, if such owner or occupier of any premises has a statutory right to apply for and obtain such electric supply from the distribution licensee."

इसके अतरिक्त माननीय् सर्वोच्च न्यायाल ने अपने आदेश Chameli Singh v. State of UP में टिप्पणी की है कि "right to shelter includes adequate living space, safe and decent structure,clean and decent surrounding, sufficient light, pure air and water, electricity sanitation and other civic amenities." इससे स्पष्ट है कि माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्युत की पहुच Right to Shelter में सम्मलित कर के इसे Fundamental Right माना है।

उपरोक्त के चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी के पूर्व मे अवमुक्त संयोजन संख्या RK62105134357 जो वाणज्यिक श्रेणी में था को तत्काल पुनः ऊजीकृत करें एवं प्रथम तल में कब्जेधारी के तौर पर श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, 20–बीघा, ऋषिकेश को घरेलू विद्युत संयोजन सं० RK13052303536 के नाम से अवमुक्त घरेलू विधा के संयोजन को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) एवं माननीय् UERC द्वारा निर्गत UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Releated Matters) Regulations, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उक्त संयोजन को स्थापित किया जाना तर्कसगत एवं न्याययोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पूर्व में अवमुक्त संयोजन संख्या RK62105134357 जो वाणज्यिक श्रेणी में था को तत्काल पुनः ऊजीकृत करें एवं प्रथम तल में कब्जेधारी के तौर पर श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

ओम सिंह, 20–बीघा, ऋषिकेश को घरेलू विद्युत संयोजन सं० RK13052303536 के नाम से अवमुक्त घरेलू विधा के संयोजन को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) एवं माननीय् UERC द्वारा निर्गत UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Releated Matters) Regulations, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उक्त संयोजन को स्थापित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 33/2025

श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार — परिवादी
निवासी– हिमाद्री एनक्लेव, पित्थूवाला
शिमला बाईपास , पोस्ट– मेहुवाला माफी,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 12.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है:–

"कि विद्युत कनेक्शन नं0 MP12114226589 (मंजू देवी पति मुकेश कुमार) के नाम से है एवं प्रार्थिनी हिमाद्री एनक्लेव, पित्थूवाला, शिमला बाईपास की निवासी है, जिसका सब–डिविजन गणेशपुर पडता है। प्रार्थिनी के घर का विद्युत कनेक्शन बिल सामान्यतः प्रति माह रू0 1000–1500 रू0 के मध्य आता है परन्तु माह अप्रैल 2025 में प्रार्थिनी के घर का विद्युत बिल रू0 9785 आया है जिससे प्रार्थिनी को प्रतीत होता है कि उनकी विद्युत रीडिंग/मीटर में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई-मेल cgrfgz@gmail.co

समस्या उत्पन्न हुई है। उक्त विद्युत बिल को संशोधित करने के लिये प्रार्थिनी द्वारा सब डिवीजनल आफिसर से भी संपर्क किया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नही दिया गया एवं बिना सूचना के पुराना मीटर बदल दिया गया एवं उसकी रीडिंग भी प्रार्थिनी को सूचित नही की गयी जो कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही का घोतक है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थिनी के माह अप्रैल के विद्युत बिल पर पुनः विचार कर संशोधित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें एवं प्रकरण का समाधान होने तक प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन न काटा जाए।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5243, दिनांकित 06/08/2025 से मंच को निम्नवत् बिन्दुवार अवगत कराया गया है –

1. *बिन्दु संख्या 1– उपभोक्ता का माह अप्रैल 2025 का विद्युत बिल उपभोक्ता द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किया गया है।*
2. *बिन्दु संख्या 2– शिकायतकर्ता के परिसर पर वर्तमान में इलैक्ट्रोनिक मापक को बदल कर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा चुका है।*
3. *बिन्दु संख्या 3– नया स्मार्ट मीटर परिवर्तित करते समय उपभोक्ता के पुराने इलैक्ट्रोनिक मीटर में 12529 KWH रीडिंग प्रदर्शित हो रही थी (पुष्टि हेतु संयोजन के सापेक्ष निर्गत सीलिंग प्रमाण पत्र एवं पुराने मीटर की रीडिंग ..ग छायाप्रति संलग्न)*
4. *बिन्दु संख्या 4– M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. SPL-3 को पुराने इलैक्ट्रोनिक मीटर की एम०आर०आई० करने हेतु पुराने मापक को उपलब्ध कराने सम्बन्धित प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
गढ़वाल
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उक्त के संबध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5318, दिनांकित 30/08/2025 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया गया है:–

1. *बिन्दु संख्या 1– उपभोक्ता का माह अप्रैल 2025 का विद्युत बिल उपभोक्ता द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किया गया है।*
2. *बिन्दु संख्या 2– शिकायतकर्ता के परिसर पर वर्तमान में इलैक्ट्रोनिक मापक को बदल कर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा चुका है।*
3. *बिन्दु संख्या 3– नया स्मार्ट मीटर परिवर्तित करते समय उपभोक्ता के पुराने इलैक्ट्रोनिक मीटर में 12529 KWH रीडिंग प्रदर्शित हो रही थी (पुष्टि हेतु संयोजन के सापेक्ष निर्गत सीलिंग प्रमाण पत्र एवं पुराने मीटर की रीडिंग का छायाचित्र रीडिंग सहित एवं एम0आर0आई0 आख्या संलग्न)।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है, परन्तु दिनांक 25.03.2025 से दिनांक 25.04.2025 अर्थात् 31 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 1416 यूनिट का रू0 9785.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 के मिलान करने पर मंच के संज्ञान मे आया कि दिनांक 25.03.2025 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 10912 थी जबकि दिनांक 01.04.2025 को एम0आर0आई0

रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 12174 थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त 7 दिनों के अंतर्गत विद्युत मीटर में कोई तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई जिस कारण मात्र 7 दिनों में 1262 यूनिट उपभोग दर्शाया गया है जो कि 180.28 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 180.28 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह अप्रैल 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 201 यूनिट (161+213+229/3=201 यूनिट) पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह अप्रैल 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 03/2025,02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 201 यूनिट (161+213+229/3=201 यूनिट) पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/09/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/09/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(देहरादून
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
, देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 34 / 2025

श्री भगवती प्रसाद घिल्डियाल, परिवादी
निवासी– अपर ठाकुरपुर,
एकता भवन प्रेमनगर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांकः 20.09.2025

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन अवमुक्त करने मे विपक्षी द्वारा अनावश्यक देरी किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उनके द्वारा विद्युत कनेक्सन के लिए आवेदन किया था परन्तु उस पर अनावश्यक विवाद उठाकर कनेक्सन में गडबडी की जा रही है। परिवादी द्वारा मामले की छानबीन कर न्यायोचित हल निकालने का फोरम से अनुरोध किया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 420, दिनांकित 06/08/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री भगवती प्रसाद घिल्डियाल, निवासी–अपर ठाकुरपुर, एकता भवन, प्रेमनगर, देहरादून के द्वारा अस्थाई विद्युत संयोजन लेने हेतु आवेदन किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. *दिनांक 22.07.2025 को अस्थाई विद्युत संयोजन का रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000.00 जमा कराये गये थे।*
2. *जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या 531220725008 है।*
3. *दिनांक 31.07.2025 को अवर अभियन्ता द्वारा Inspection Report लगायी गयी है। जिसमें 230मीटर नयी विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है। (छायाप्रति संलग्न)*
4. *दिनांक 04.08.2025 को अधिशासी अभियन्ता द्वारा लोड स्वीकृत किया गया है।*
5. *दिनांक 04.08.2025 से कन्ज्यूमर पेमेंट में रू० 105496.00 धनराशि कन्ज्यूमर द्वारा जमा कि जानी शेष है। (छायाप्रति संलग्न)*
6. *दिनांक 31.07.2025 को श्री भगवती प्रसाद के द्वारा दिखाये गये मार्ग का सर्वे किया गया था नयी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान श्रीमती जेलमा देवी द्वारा लाईन के सर्वे का विरोध किया गया था।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि श्री भगवती प्रसाद के द्वारा दिखाये गये मार्ग का नयी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान श्रीमती जेलमा देवी द्वारा लाईन के सर्वे का विरोध किया गया था। विपक्षी की आख्या के क्रम में मंच द्वारा परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर परिवादी, विपक्षी एवं श्री यशपाल सिंह गुसाई उपस्थित रहे। मौके पर परिवादी द्वारा बताए गये लाईन निर्माण मार्ग पर पड़ोसियों द्वारा यह कहकर घोर आपत्ति दर्ज की गई कि जिस भूमि से परिवादी ... ने संयोजन के लिये विद्युत लाईन का निर्माण कराना चाह रहा है, वह भूमि उनकी है और निकट भविष्य में वह उस पर भवन का निर्माण करेंगे।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(देहरादून)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त मंच का मत है जिस मार्ग से परिवादी द्वारा विद्युत लाईन निर्माण सुझाया गया है उस मार्ग पर पड़ोसियों द्वारा घोर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिस कारण उक्त सुझाये गए मार्ग से विद्युत लाईन निर्माण कराया जाना उचित नहीं होगा। मंच द्वारा संज्ञान लिया कि परिवादी के रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिनांक 31.07.2025 को अवर अभियन्ता द्वारा Inspection Report लगायी गयी है, जिसमें परिवादी को 1 किलोवाट अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु 230 मीटर नयी विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है जिस हेतु परिवादी को प्रक्कलन राशि के रूप में रू 105496.00 जमा करने है। यह प्रक्कलन परिवादी के Right of Way के अनुसार ही बनाया गया है जो तर्कसंगत एवं न्यायोचित है। यदि परिवादी द्वारा उक्त प्रक्कल राशि जमा कराई जाती है तो विपक्षी उक्त संयोजन के निर्गत करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरांत उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस **निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/09/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 20/09/
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 36/2025

Shri. Ajay Bhatt V/s **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 15.09.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 15.09.2025 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निरतारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 931 दिनांकित 07.08.2025 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका अप्रैल 2025 में अस्थायी विद्युत संयोजन विच्छेदित कर स्थाई विद्युत संयोजन लगाया गया था। परिवादी के अनुसार उनके द्वारा उस समय सभी बकाया राशि जमा कर दी गई थी, परंतु अब उनके अस्थाई विद्युत संयोजन का बिल रू0 16000.00 बताया जा रहा है, जबकि उनका विद्युत बिल सामान्यता रू0 1500 से रू0 2000 के बीच आता है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत बिल संशोधित किये जाने के आदेशित करने की कृपा करे।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 931 दिनांकित 07.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित उपभोक्ता को स्थायी विद्युत संयोजन संख्या 9771312671938 विद्युत भार 5 किलोवॉट दिनांक 26.04.2025 को अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष माह 16.07.2025 को कुल रू0 7290 का बिल प्रेषित किया गया था जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.08.2025 को जमा करा दिया गया है वर्तमान में स्थायी संयोजन के सापेक्ष Ledger Balance शून्य है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 37 / 2025

विंग कमांडर एस०के० गांगुली (सेवानिवृत) — परिवादी
निवासी– बी–09, एल०ए० सिटी,
कांसवाली कोठारी नियर ढुंगा चौक,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding frequent supply failure and severe Voltage fluctuations at his residence situated in LA city kanswali Kothari near dunga chauk, dehradun.

According to the Complainant:-"*I am Wg Cdr S K Ganguly (Retd) resident of L A City Township My Connection No: MP71515551880, A/c No: 42300901055. The above is UPCL connection for my residence at B9, L A City Township situated in Kanswali Kothari (near Dunga Chauk), Dehradun Uttarakhand. 248007. There are more than 100 residents residing in this township, having UPCL connection. I would like to draw your attention to the frequent power supply failure and sever*

voltage fluctuations. Complete darkness at night is an open invitation to intruders, in resent past there were two incidents in our township when thieves taking advantage of darkness entered the house and took away lots of valuables. An FIR was registered for the same. The other bigger problem is the Voltage fluctuation, in high voltage condition many of our valuable electrical appliances are getting damaged and at times voltage is so low that most of our appliances do not even function. In addition to the above problem, I am unable to generate electricity through my 3kVA solar panel installed on my roof top due to unavailability of electric supply, this is a huge loss to me in person. Many complaints were raised by many of our township members with UPCL at different levels but all in vain. I therefore request you investigate this long pending issue on priority and resolve as quickly as possible.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 980, दिनांकित 29/08/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० उपसंस्थान सेलाकुई–1 से निकलने वाले 11 के०वी० भाऊवाला पोषक से की जाती थी, दिनांक 21.07.2025 को 33/11 के०वी० उपसंस्थान AWHO से एक नये 11 के०वी० फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर उक्त क्षेत्र को जोड दिया गया है जिससे उस लाईन की दूरी लगभग 09 किलोमीटर कम हो गयी है तथा साथ ही पूर्व फीडर की ओवर लोड की समस्या भी दूर हो गई है। वर्तमान में खराब मौसम एवं लाईन का वन क्षेत्र में होने के कारण भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई है जिससे न्यूनतम समय में ठीक करने का प्रयास किया गया। एक नया 33/11 के०वी० उपसंस्थान डुंगा में भी प्रस्तावित है जो कि केन्द्र की RDSS योजना

में बनाया जाना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके बनने के पश्चात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान हो पायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 980, दिनांकित 29/08/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता विंग कमांडर एस0के0 गांगुली (सेवानिवृत्त), निवासी– बी–09, एल0ए0सीटी कांसवाली कोठरी नियर ढुंगा चौक, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या MP71515551880 की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० उपसंस्थान सेलाकुई–1 से निकलन वाले 11 के०वी० भाऊवाला पोषक से की जाती थी, दिनांक 21.07.2025 को 33/11 के०वी० उपसंस्थान AWHO से एक नये 11 के०वी० फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर उक्त क्षेत्र को जोड़ दिया गया है जिससे 11 के0वी फीडर की दूरी लगभग 08 किलोमीटर कम हो गयी है तथा साथ ही पूर्व फीडर की ओवर लोड की समस्या भी दूर हो गई है। वर्तमान में खराब मौसम एवं लाईन का वन क्षेत्र में होने के कारण भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई है जिसे न्यूनतम समय में ठीक करने का प्रयास किया गया। एक नया 33/11 के०वी० उपसंस्थान ढूंगा में भी प्रस्तावित है जो कि केन्द्र की RDSS योजना में बनाया जाना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके बनने के पश्चात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान हो पायेगा ।
उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि केन्द्र द्वारा पोषित RDSS योजना के तहत् नये 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, ढूंगा बनने के उपरान्त परिवादी की बार–बार बिजली की आपूर्ति में रूकावट आना तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत का निवारण स्वतः हो जाएगा। विपक्षी के अनुसार उक्त उपसंस्थान हेतु भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मंच ने विपक्षी द्वारा एक नये लगभग 8 किलोमीटर छोटे

11 के0वी0 फीडर के निर्माण कर उक्त क्षेत्र को जोड़ देने का भी संज्ञान लिया है, जिससे उक्त क्षेत्र की आपूर्ति में आपेक्षित सुधार होगा।

मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अवरिल विद्युत स्पलाई तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत के निवारण हेतु उचित कदम लिये गये है तथा भविष्य में एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान के निर्माण (RDSS योजना के तहत) की भी योजना है, जिससे परिवादी की समस्या का निवारण पूर्णतः हो जाएगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वाद निरस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया किया जाता है कि प्रस्तावित उपसंस्थान जो कि केन्द्र की RDSS योजना के तहत् बनाया जाना है को युद्धस्तर पर सम्पादित करे जिससे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति तथा अनियमित वोल्टेज जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/09/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/09

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 38/2025

Shri. Chander Singh Nikhurpa **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Mohanpur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 22.09.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 22.09.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 494 दिनांकित 11.09.2025 प्रस्तुत की गई।

रिवादी की मूल शिकायत है कि जनवरी 2025 से उनके परिसर पर विद्युत वोल्टेज में हो रही गंभीर और लगातार असामान्य रूप से उतार–चढ़ाव शामिल है। यह अनियमित बिजली आपूर्ति एक दैनिक घटना बन गई है, जिससे काफी असुविधा हो रही है और विद्युत उपकरण भी खराब हो रहे है एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति का अभाव न केवल हमारे दैनिक जीवन को बाधित कर रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को वोल्टेज के असामान्य उतार–चढाव एवं बार–बार पावर कट को समाप्त किये जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 494 दिनांकित 11.09.2025 के माध्यम से दिनांक 01.09.2025 से 14.09.2025 तक उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति स्थिति से मंच को अवगत कराया।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि पत्र के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि पत्र के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/09/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 39/2025

श्री हरेन्द्र सिंह बेदी, — परिवादी
निवासी– 101/128, ईदगाह,
चकराता रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी के संयोजन पर रू0 26496.00 का आर्थिक दण्ड जोडा गया है। उक्त निर्धारण के सम्बन्ध में उपखण्ड बिन्दाल में पता किया गया तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का मीटर 75 प्रतिशत धीमा पाया गया है, जबकि चैकिंग के दौरान प्रार्थी का मीटर सही पाया गया था। प्रार्थी का प्रतिमाह औसत संयोजन लगने की तिथि से आज दिनांक तक जारी सभी बिलों में लगभग सामान्य है।*

महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि उपखण्ड बिन्दाल से प्राप्त निर्धारण की प्रति से यह ज्ञात होता है कि निर्धारण पूरे वर्ष का किया गया है जबकि उपखण्ड द्वारा मीटर कब से धीमा हुआ का कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है। अत: महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी पर रोपित गलत निर्धारण को निरस्त करवाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 416, दिनांकित 12/08/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

1 उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं० CD22202012577 है।

2 दिनांक 22.02.2025 को उपभोक्ता के उपरोक्त विद्युत संयोजन की चैकिंग की गयी, जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर सं० 40117616 को उतार कर सील किया गया तथा नया मीटर सं० 5559139 स्थापित किया गया। चैकिंग रिर्पोट सं० 26/01 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

3. दिनांक 27.02.2025 को उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री ताहर सिंह की उपस्थिति में उपर्युक्त मीटर सं० 40117616 की विद्युत परीक्षण शाला में जॉच करने पर मीटर 75 प्रतिशत धीमा पाया गया। जाँच रिर्पोट की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

4. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित म... के) विनियम, 2020 के प्रतिबन्ध 5.1.3.10(b) के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत संयोजन का पिछले 12 माह का निर्धारण कर रू० 25540.00 उपभोक्ता के बिल में जोड़े गये। निर्धारण की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

5. उपर्युक्त संबंध में नियमानुसार ही कार्यवाही की गयी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10/02/2024 से 10/01/2025 अर्थात् 335 दिनों में 3 किलोवाट के स्वीकृत भार पर कुल 5344 यूनिट निर्धारण के रूप मे की खपत दर्शायी गयी है। विपक्षी द्वारा मंच को प्रेषित अपनी आख्या के साथ सलग्न मीटर चेकिंग रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने मीटर में किसी भी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की गई है। मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विद्युत मापक बदले जाने के उपरान्त भी परिवादी के विद्युत उपभोग में किसी भी प्रकार का असामान्य अंतर दर्ज नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टैस्ट बैच पर चैक किये जाने से तत्काल पूर्व ही मीटर मे किसी प्रकार की तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई और मीटर 75 प्रतिशत धीमा पाया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 14.08.2025 को विपक्षी उपखण्ड अधिकारी को उपरोक्त विवादित विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान ही अवगत कराया गया कि उक्त मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी पर 75% Slow meter के आधार पर आरोपित निर्धारण (पूर्व 12 माह) किया जाना न्यायोचित नहीं है, ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22.02.2025 में मीटर जॉच किये जाने के क्रम में विद्युत मीटर 75 प्रतिशत धीमा चलने के सापेक्ष प्रेषित निर्धारण निरस्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 22.02.2025 में मीटर जॉच किये जाने के क्रम में विद्युत मीटर 75 प्रतिशत धीमा चलने के सापेक्ष प्रेषित निर्धारण निरस्त करें एवं परिवादी को संशोधित बिल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/9/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय. 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 40 / 2025

श्री किशन गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता — परिवादी
निवासी– निकट सीएचसी सेंटर सहसपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत विभाग द्वारा उनकी वास्तविक खपत से अधिक प्रेषित किये गये विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मै किशन गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता, निवासी सहसपुर, देहरादून आपके विभाग का नियमित उपभोक्ता हूँ। मेरा उपभोक्ता संख्या / खाता संख्या 41900451596 / VN116114595877है। मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि मैं प्रतिमाह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करता आ रहा हूँ। मेरा औसत मासिक बिल रू0 7000 से रू0 8000 के बीच आता रहा है और मैं इसे ससमय बिल प्राप्त होने के साथ ही रॉयल्टी समेत जमा करता हूँ। किन्तु हाल ही में मुझे रू0 80,000 का अत्यधिक और अनपेक्षित बिजली बिल प्राप्त हुआ है, जो मेरे*

औसत खपत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जब मैने विभाग से इस विषय में संपर्क किया, तो उन्होंने बिना विस्तृत जाच किए इसे जमा करने को कह दिया, जो मेरे लिए आर्थिक रूप से असंभव है। मुझे विश्वास है कि यह बिल त्रुटिपूर्ण या तकनीकी कारणों से गलत रूप से जारी किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की कृपा करें एवं इस त्रुटिपूर्ण बिल को संशोधित कर मेरे औसत उपभोग के अनुसार यथाशीध्र नया बिल जारी किया जाए साथ ही, कृपया जब तक जांच पूर्ण न हो, तब तक किसी भी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में बाधा न दी जाए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 4754, दिनांकित 21/08/2025 से मच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. *परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी के उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 03 अप्रैल 2019 को निर्गत किया गया था जिसकी संयोजन सं० VN11611459587 है।*
2. *परिवादी के संयोजन पर दिनांक 30.06.2025 को सोलर मीटर (मीटर संख्या 499876) स्थापित किया गया।*
3. *परिवादी द्वारा उपयोग की गई पुराने मीटर (मीटर सं० SS15574715) की कुल खपत दिनांक 22.05.2025 से 01.07.2025 (मीटर बदलने की तिथि) तक 21847–10900 = 10947 यूनिट की खपत है।*
4. *परिवादी को निर्गत किये गये बिल सही है।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22.05.2025 से 31.07.2025 अर्थात् 70 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 10947 यूनिट (10947/70 = 156.38 यूनिट प्रतिदिन) का रू0 88334.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व मे कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वयः भी अपनी आख्या में स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा उपयोग की गई पुराने मीटर (मीटर सं0 SS15574715) की कुल खपत दिनांक 22.05.2025 से 01.07.2025 (मीटर बदलने की तिथि) तक 21847–10900 = 10947 यूनिट है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम मे विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह जुलाई 2025 मे 10947 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22.05.2025 से 31.07.2025 (70 दिन) तक कुल 10947 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जो कि 156.38 यूनिट प्रति दिन खपत दर्शाता है। पत्रावली में उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त 156.38 यूनिट प्रति दिन की खपत पूर्व में कभी भी परिवादी द्वारा नहीं की गई।

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं कंज्यूमर हिस्ट्री का मिलान किया गया एवं पाया कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार वर्तमान *KWH* निम्नवत् दर्शायी गयी है 22.03.2025 को 9696 *KWH*, 11.01.2025 को 8802 *KWH* एवं 28.11.2024 को 8199 *KWH* एवम् एम0आर0आई0 के अनुसार वर्तमान *KWH* निम्वत् है:–01.04.2025 को 19730.40 *KWH*, 01.02.2025 को 18511.88 *KWH* एवं दिनांक 01.12.2024 को 16865.08 *KWH*।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं कंज्यूमर हिस्ट्री के तुल्नात्मक विशलेषण से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी जिस कारण बिल चक्र 07/2025 में पूर्व मीटर रीडिंग 10900 *KWH* एकाएक 70 दिनों में 21847 *KWH* हो गई (सीलिंग प्रमाण पत्र से स्पष्ट) अर्थात इस अवधि में 3*KW* संयोजन पर 10947 यूनिट विद्युत खपत का बिल परिवादी को निर्गत किया गया। वास्तविक खपत से कम विद्युत खपत का बिल निर्गत करना माननीय *UERC* के उपरोक्त विनियम का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह जुलाई 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 05/2025, 03/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 900.33 यूनिट (1204+894+603/3=900.33 यूनिट) पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह जुलाई 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 05/2025, 03/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 900.33 यूनिट (1204+894+603/3=900.33 यूनिट) पर संशोधित किया जाए। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 के विशलेषण से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण मीटर में यूनिट जमा हो गई जो की पुराने मीटर को रोलर मीटर से बदले जाने के समय उजागर हुई। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing/accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे

विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/09/2015

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 25/09/2015
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 41 / 2025

श्री भुवनेश कुमार भट्ट, — परिवादी
निवासी– ए–13, एल0ए0 सीटी
कंसवाली कोठारी नियर ढुंगा चौक,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 26.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding frequent supply failure and severe Voltage fluctuations at his residence situated in LA city township kanswali Kothari near dunga chauk, dehradun.

According to the complainant " *I am Bhuwanesh Kumar Bhatt , former Adviser, Ministry of New and Renewable Energy Government of India , resident of L A City Township. My Connection No: MP71515770333, A/c No:42100292259. The above is UPCL connection for my residence at A-13 L*

A City Township situated in Kanswali Kothari (near Dunga Chauk), Dehradun, Uttarakhand. 248007. There are more than 100 residents residing in this township, having UPCL connection.

I would like to draw your attention to the frequent power supply failure and severe voltage fluctuations. Complete darkness at night is an open invitation to intruders, in resent past there were two incidents in our township when thieves taking advantage of darkness entered the house and took away lots of valuables. An FIR was registered for the same. The other bigger probl is the Voltage fluctuation, in high voltage condition many of our valuable electrical appliances are getting damaged and at times voltage is so low that most of our appliances do not even function.

Further, in the township the electrical lines are loose and hanging low from electrical poles which may clause unfortunate incident. We have also sent our representation on 13 /09/2023 but nothing has been changed. In addition to the above problem, I am unable to generate electricity through my 3kVA solar panel installed on my roof top due to unavailability of electric supply, this is a huge loss to me in person.

Many complaints were raised by many of our township members with UPCL at different levels but all in vain. I therefore request you investigate this long pending issue on priority and resolve as quickly as possible."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 973, दिनांकित 28/08/2025 से मच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० उपसंस्थान सेलाकुई–1 से निकलने वाले 11

के0वी0 भाऊवाला पोषक से की जाती थी, दिनांक 21.07.2025 को 33/11 के0वी0 उपसंस्थान AWHO से एक नये 11 के0वी0 फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर उक्त क्षेत्र को जोड दिया गया है जिससे उस लाईन की दूरी लगभग 08 किलोमीटर कम हो गयी है तथा साथ ही पूर्व फीडर की ओवर लोड की समस्या भी दूर हो गई है। वर्तमान में खराब मौसम एवं लाईन का वन क्षेत्र में होने के कारण भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई है जिससे न्यूनतम समय में ठीक करने का प्रयास किया गया। एक नया 33/11 के0वी0 उपसंस्थान डुंगा में भी प्रस्तावित है जो कि केन्द्र की RDSS योजना में बनाया जाना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके बनने के पश्चात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान हो पायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 973, दिनांकित 28/08/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री भुवनेश कुमार भटट्, निवासी– ए–13, एल0ए0सीटी कांसवाली कोठरी नियर डुंगा चौक, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या MP715155770333 की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 उपसंस्थान सेलाकुई–1 से निकलने वाले 11 के0वी0 भाऊवाला पोषक से की जाती थी, दिनांक 21.07.2025 को 33/11 के0वी0 उपसंस्थान AWHO से एक नये 11 के0वी0 फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर उक्त क्षेत्र को जोड दिया गया है जिससे 11 के0की फीडर की दूरी लगभग 08 किलोमीटर कम हो गयी है तथा साथ ही पूर्व फीडर की ओवर लोड की समस्या भी दूर हो गई है। वर्तमान में खराब मौसम एवं लाईन का वन क्षेत्र में होने के कारण भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई है जिससे न्यूनतम समय में ठीक करने का प्रयास किया गया। एक नया 33/11 के0वी0 उपसंस्थान डुंगा में भी प्रस्तावित है जो कि केन्द्र की RDSS योजना में बनाया जाना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके बनने के पश्चात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान हो पायेगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि केन्द्र द्वारा पोषित RDSS योजना के तहत् नये 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, दूंगा बनने के उपरान्त परिवादी की बार–बार बिजली की आपूर्ति में रूकावट आना तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत का निवारण स्वतः हो जाएगा। विपक्षी के अनुसार उक्त उपसंस्थान हेतु भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है तथा मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मंच ने विपक्षी द्वारा एक नये लगभग 8 किलोमीटर छोटे 11 के0वी0 फीडर के निर्माण कर उक्त क्षेत्र को जोड़ देने का भी संज्ञान लिया है, जिससे उक्त क्षेत्र की आपूर्ति में आपेक्षित सुधार होगा।

मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अवरिल विद्युत स्पलाई तथा अनियमित वोल्टेज की शिकायत के निवारण हेतु उचित कदम लिये गये है तथा भविष्य में एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान के निर्माण (RDSS योजना के तहत्) की भी योजना है, जिससे परिवादी की समस्या का निवारण पूर्णतः हो जाएगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया किया जाता है कि प्रस्तावित उपसंस्थान जो कि केन्द्र की RDSS योजना के तहत् बनाया जाना है को युद्धस्तर पर सम्पादित करे जिससे क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति तथा अनियमित वोल्टेज जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/09/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 42/2025

Smt. Meenu Bist V/s **Executive Engineer, EDD, (Central) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 22.09.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 22.09.2025 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 3713 दिनांकित 28.08.2025 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा पंजीकरण संख्या 212606254374 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसके संबंध में उनके द्वारा रू0 2200.00 जमा करा दिये गये थे। 30 दिन बीत जाने के बाद भी विद्युत संयोजन का आवेदन अवर अभियन्ता के पास लंबित है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत संयोजन जारी किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3713 दिनांकित 28.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायकर्ता के रजिस्ट्रेशन नं0 4862606250005 का लोड दिनांक 03.07.2025 को स्वीकृत को गया तद्उपरान्त जमानत धनरशि 04.07.2025 को जमा होने के उपरान्त मीटर उपलब्ध न होने के कारण स्मार्ट मीटर लगाने हेतु जीनस इन्फ्राटेक कम्पनी को ऑनलाईन दिनांक 05.07.2025 को फारवर्ड किया गया, जीनस पावर इन्फ्राटेक कम्पनी द्वारा 18.08.2025 को इनका मीटर लगा दिया गया, इस विद्युत संयोजन पर मीटर लगाने मे जो भी देरी हुई वह जीनस इन्फ्राटेक कम्पनी की ओर से हुई है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

ctricity Consumer Grievance Redressal Forum
rhwal Zone)
.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
radun -248001
ne 0135-2769745, 2769755, 2761956
ice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 43/2025

श्रीमती जलेखा खातून पत्नी श्री इसरार हुसेन — परिवादी
निवासी– गांधी ग्राम नई बस्ती, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 26.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थिनी श्रीमती जलेखा खातून पत्नी श्री इसरार हुसेन, निवासी गांधी ग्राम कांवली, देहरादून को नीरज धीमान पुत्र स्व0 श्री सोम प्रकाश धीमान, 285 गुरु रोड, नई बस्ती, गांधी ग्रम, कांवली, देहरादून को अपनी एक संपत्ति, संपत्ति संख्या 285, नई बस्ती गुरु रोड़, कांवली रोड, देहरादून का मुखतीयरे आम रजिस्टर मुख्तारनामे के अनुसार जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार, देहरादून द्वितीय के यह बही संख्या 4 जिल्द 751 प्रष्ट 99 से 116 पर क्रमांक 1455 दिनांक 21.12.2024 पंजीकृत किया जिसमें की प्रार्थीनी को सामान्य देखभाल के लिए, प्रार्थना पत्र देने अथवा उक्त संपति की बावत सभी विभागों में प्रार्थाना पत्र आदि देने के लिए अधीकृत किया गया है। यह की उपरोक्त संपत्ति पर मुख्तार दाता लगभग 1980 से काबिज है एवं विद्युत संयोजन 1989 से लगातार*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.

जारी है परन्तु मुखतार दाता द्वारा मुखतरेआम नियुक्त करने के उपरांत कुछ लोगो की शिकायत पर विद्युत संयोज समाप्त कर दिया गया जिस कारण से प्रार्थीनी बिना बिजली के लगभग जून 2025 से वंचित है जो की प्रार्थीनी मौलिक हक है। उक्त संपत्ति नगर निगम देहरादून में भी 1999 से दर्ज चली आ रही है। अतः माननीय न्यायलय अनुरोध है कि प्रार्थिनी का विद्युत संयोजन कराते हुए प्रार्थिनी के नाम से कनेक्शन सुचारू कराए जो की न्यायोचि होगा एवं प्रार्थिनी के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 333, दिनांकित 28/08/2025 से मंच बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1 *उक्त संपत्ति पर पूर्व में विद्युत संयोजन संख्या SD25158077907 श्री नीरज धीमान के नाम से वर्ष 1989 निर्गत था।*

2 *श्री नीरज धीमान द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD25158077907 को दिनांक 19.07.2025 के माध्यम स्वेच्छा से स्थायी विच्छेदन कराया गया था।*

3. *उक्त संपत्ति पर श्रीमती जलेखा खातून द्वारा विद्युत संयोजन हेतू आवेदन किया गया था, जिसमें श्रीमती जले खातून द्वारा भू–स्वामित्व से सम्बन्धी दस्तावेज, रजिस्ट्री अथवा अन्य सरकारी जमीन की NOC जो कि मान UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matte Regulations, 2020 notification oct 29, 2020 के अनुसार नहीं दिया गया है, इनके द्वारा मुख्तारन लगाया गया था जो कि श्री नीरज धीमान द्वारा निर्गत किया गया है।*

4 *उक्त परिसंपत्ति पर वर्तमान में भी श्री नीरज धीमाना द्वारा भवन कर जमा किया जा रहा है।*

5 *उक्त परिसंपत्ति नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।*

6 *उक्त परिसंपत्ति पर विद्युत संयोजन हेतु नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है।*

7. *दिनाक 23.02.2023 को श्रीमान नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून द्वारा भी अतिकमण रोकने हेतु नये वि संयोजनों को निर्गत करने से पूर्व आवेदक से सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु निर्देशित किया गय तथा साथ ही UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Rela*

Matters) Regulations, 2020 notification oct 29, 2020 के अनुसार यदि भूमि सरकारी प्राधिकार (govt authority) के अन्तर्गत आती है तो संयोजन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत नहीं किया जायेगा। अतः माननीय मंच को अवगत कराना है कि श्रीमती जलेखा खातून अपने भू स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज या नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें ताकि नये विद्युत संयोजन को निर्गत किया जा सके।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा नगर आयुक्त के पत्र दिनांक 23.02.2023 कि शासकीय भूमियों पर विद्युत कनैक्शन प्रदान किये जाने से पूर्व आवेदक से सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवश्य प्राप्त कर ले उस के उपरान्त ही विद्युत कनैक्शन निर्गत करे तथा UERC के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 3.3.2(4)(a)(i) के द्वितीय परन्तुक का हवाला देते हुए परिवादी के आवेदन को निरस्त कर दिया।

यहा पर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the premises by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

(गढ़वा
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2
ई–मेल cgrfgz@gmail.

नगर आयुक्त का पत्र दिनांक 25.02.2023 संलग्न किया गया है, जो कि विशेष रूप से वाद से संबंधित परिसर क लेकर नहीं है। अतः यह माननीय् UERC के उपरोक्त विनियम पर प्रभावी नहीं है।

परिवादी द्वारा मंच के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि उपरोक्त संपत्ति पर मुख्तार दाता लगभग 1980 से काबि था एवं विद्युत संयोजन 1989 से लगातार जारी था परन्तु मुखतार दाता द्वारा परिवादी को मुखतारेआम नियुक्त क के उपरांत कुछ लोगो की शिकायत पर विद्युत संयोजन समाप्त कर दिया गया जिस कारण से प्रार्थिनी बिना बिज के लगभग जून 2025 से वंचित है जो की प्रार्थिनी का मौलिक अधिकार है। उक्त संपत्ति नगर निगम देहरादून में 1999 से दर्ज चली आ रही है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्त परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय् UER के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन करा जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulato Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of Ne Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्र परन्तुक:– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the docume listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any du against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आ प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का

वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26.09.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 44/2025

Shri.Rajendra Kumar Sahni **V/s** **Executive Engineer, EDD,Rishikesh**

ORDER SHEET

Date- 15.09.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 15.09.2025 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका परिसर काफी समय से खाली पड़ा हुआ है, यहां कोई नहीं रहता है, मीटर रीडिंग हमेशा शून्य आती है या अब 1 या 2 हो सकती है, पिछले डेढ महीने में इस क्षेत्र के दो लाईनमैन आए और उन्होंने पुष्टि की है कि मीटर ठीक काम कर रहा है, गलत आर0डी0एफ0 रीडिंग के आधार पर बढ़ा हुआ बिल बनाया जा रहा है, जबकि शून्य खपत के कारण उनका सही बिल रू0 50 (फिक्स्ड चार्ज) से अधिक नही होना चाहिए। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत बिल संशोधित किये जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करे।

परिवादी द्वारा सुनवाई से पूर्व मंच को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मंच के हस्तक्षेप के बाद यू0पी0सी0एल0 ने उनके विद्युत बिल मे सुधार कर दिया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यमसे सुनवाई से पूर्व मंच में प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि लिखित संतुष्टि ई मेल के माध्यमसे सुनवाई से पूर्व मंच में प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवा...
(गढ़...
वि0क्रों0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली ...
देहरादून – 2480...
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195...
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–27673...
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 45 / 2025

श्री विजय नाथ — परिवादी
निवासी– ग्राम ननूर खेडा,
सपेरा बस्ती रायपुर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनको नये विद्युत कनैक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा विद्युत कनेक्शन नं० 7061316124028 घरेलू कनैक्शन स्थित ई०सी० रोड विद्युत विवरण खण्ड (उत्तर) है।*

1. *यह कि प्रार्थी की स्थिती दयनीय होने के कारण समय पर देय राशि जमा नहीं कर सका।*
2. *दिनांक 15/12/2008 को विद्युत कनैक्शन काट दिया गया है।*
3. *महोदय प्रार्थी देय राशि जमा करने को तैयार है।*
4. *प्रार्थी नये कनैक्शन के लिए पूर्ण–कागजात तैयार कर रहा है। यदि कनैक्शन प्रार्थी के नाम न स्वीकृत हो रहा है तो कृप्या प्राथी की पत्नी बनीता के नाम पर स्वीकृती प्रदान की जाए।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

5 प्रार्थी के पिता स्व० श्री जगदीश का नसबन्दी प्रमाण पत्र संलग्न है। दिनांक 12/12/1992 में दून अस्पताल सलग्न एस०डी०ओ० द्वारा प्रमाणित–पत्र है, तथा परिवार रजिस्टर्ड संलग्न है। स्थाई निवास पत्र संलग्न दिनांक 28/06/2006 है तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं का आधार कार्ड नं० 99843336471 तथा अपनी पत्नी का आधार कार्ड नं० 36916683704 सलग्न है अतः श्रीमान् जी प्रार्थना है कि नया विद्युत कनैक्शन जोडा जाये तथा देय राशि जमा करने के आदेश श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय ई०सी० रोड को पारित किया जाना उपरोक्त के हित मे होगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 674, दिनांकित 28/08/2025 से मंच को अवग. कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या 7061316124028 श्री विजयनाथ नाम से अघरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार का दिनांक 06.09.2006 को संयोजित हुआ था। जिसका अंतिम विद्युत बिल दिनांक 14.06.2018 को रू० 18914.00 (Consumer History के अनुसार) निर्गत हुआ। वर्तमान में उक्त संयोजन Bill Stop है। Consumer Ledger के अनुसार उक्त संयोजन का विद्युत बिल अप्रैल 2011 से जमा कभी भी नहीं हुआ है। Consumer Ledger के अनुसार कुल बकाया रू० 18939.00 है। Consumer History व Consumer Ledger की प्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत सयोजन संख्या 7061316124028 श्री विजयनाथ नाम से अघरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार का दिनांक 06.09.2006 को संयोजित हुआ था। जिसका अंतिम विद्युत बिल दिनांक 14.06.2018 को रू० 18914.00 (Consumer History के अनुसार) निर्गत हुआ। वर्तमान में उक्त संयोजन Bill Stop है। Consumer Ledger के अनुसार उक्त संयोजन का विद्युत बिल अप्रैल 2011 से जमा कभी भी नहीं हुआ है। Consumer Ledger के अनुसार कुल

बकाया रू० 18939.00 है। मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 29.08.2025 को निर्देशित किया गया था कि दिनाक 10.09.2011 से दिनांक 14.06.2018 तक के विद्युत बिलों को नियामानुसार संशोधित करे। विपक्षी द्वारा मंच के निर्देशो के क्रम में परिवादी को संशोधित बिल प्रेषित किया गया है। परियादी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 22.09.2025 को विपक्षी द्वारा उन्हें प्रेषित संशोधित बिल पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त की गई है, जो पत्रावली में शामिल है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परियादी का विद्युत बिल संशोधित संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देर्शित किया जाता है कि परिवादी के नियामानुसार आवेदन करने के उपरान्त परिवादी को नया विद्युत संयोजन अवमुक्त करे। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी वयक्त किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के नियामानुसार आवेदन करने के उपरान्त परिवादी को नया विद्युत संयोजन अवमुक्त करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य
29/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
29/09/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स 0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 46/2025

श्री राकेश कुमार चौहान — परिवादी
निवासी– शांति विहार, अधोईवाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मैं राकेश कुमार चौहान, निवासी– शांति विहार, अधोईवाला, देहरादून में स्थाई रूप से आवासित है एवं मेरा विद्युत सयोजन संख्या 702134126228 है। पूर्व में मेरा विद्युत बिल मु0– 600–700 रूपये का आ रहा था परन्तु विद्युत मीटर बदलने के पश्चात् वर्तमान में मेरा विद्युत बिल मु0– 51,831 रू0 आया है जो कि बहुत अधिक है।*

महोदय, मै अल्पवेतन कर्मचारी हूँ और प्राईवेट नौकरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा हूँ और वर्तमान मे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्याधिक दयनीय है जिस कारण मैं विद्युत बिल का भुगतान करने मे असमर्थ हूँ।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः महोदय से निवेदन है कि कृपया मेरा विद्युत बिल में हुई त्रुटि को संशोधन कर सही विद्युत बिल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 687, दिनांकित 01/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है *"कि उक्त संयोजन घरेलू विद्या में एक किलोवाट स्वीकृत भार श्री राकेश कुमार चौहान के नाम से सयोजित है। उक्त संयोजन का विद्युत बिल माह 04/2025 का रीडिंग (23301 – 23510) = 209 यूनिट पर रू0 707.00 का था जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 24.04.2025 को जमा कर दिया गया था। दिनांक 01.05.2025 को उक्त संयोजन पर स्थापित पुराना मीटर संख्या 675344 को बदलकर नया स्मार्ट मीटर संख्या 5584580 से परिवर्तित किया गया। पुराने मीटर पर अन्तिम रीडिंग 29024 पायी गयी। इस प्रकार 29024 – 23510 = 5514 यूनिट अवशेष थी। माह 06/2025 में उक्त अवशेष 5514 यूनिट व नये मीटर की खपत 532 यूनिट कुल 6046 यूनिट का विद्युत बिल अधिक रू0 44398.00 का निर्गत हुआ है एव माह 08/2025 में रीडिंग 532 –1524 = 992 यूनिट का पिछले अवशेष सहित रू0 51831.00 का निर्गत हुआ। साथ ही अवगत कराना है कि माह 06/2025 व 08/2025 में उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित नये स्मार्ट मीटर पर MD क्रमशः 3.74 व 3.36 किलोवाट दर्ज हुई है। वर्तमान में माह 08/2025 तक कुल अवशेष धनराशि रू0 51831.00 है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 16.04.2025 से 11.06.2025 अर्थात् 56 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 6046 यूनिट (5514 यूनिट पुराने मीटर + 532 यूनिट नये मीटर) का रू0 44398.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एव पाया कि विगत में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के बिल ही निर्गत किये जा रहे थे जो कि माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रवधानों के आलोक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

में वास्तविक मीटर रीड़िग पर आधारित थे जो पूर्णतः सही है। कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि बिल चक्र 06/2025 में दर्शायी गई 6046 यूनिट की खपत परिवादी की विगत एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक बिल चक्र की तुलना में बहुत अधिक है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी जिस कारण बिल चक्र 06/2025 में पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने के बाद 56 दिनों में 6046 यूनिट की खपत लगभग 108 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत होती है, जो कि *1KW* संयोजन पर उक्त 108 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत तर्कसंगत नहीं है। ऐसी दशा में परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित पुराने विद्युत मीटर की रीडिंग 5514 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 04/2025, 02/2025 एवं 12/2024 की औसत खपत 318 यूनिट (209+491+255/3=318.33 यूनिट) पर सशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित पुराने विद्युत मीटर की रीडिंग 5514 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 04/2025, 02/2025 एवं 12/2024 की औसत खपत 318 यूनिट (209+491+255/3=318.33 यूनिट) पर सशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा सगरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing/accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर

प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/9/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 47/2025

श्रीमती सबीता पत्नी स्व नरेन्द्र कुमार — परिवादी
निवासी– वाणी विहार, अधोईवाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं सबीता सूद धर्मपत्नी स्व नरेन्द्र कुमार, निवासी– वाणी विहार, अधोईवाला, देहरादून में स्थाई रूप से निवासति हूँ। महोदय मेरे घर का विद्युत संयोजन सख्या 7021324113452 जो कि मरे पति स्व0 नरेन्द्र कुमार के नाम पर है।*

महोदय पहले मेरे घर का विद्युत बिल दो माह का लगभग रू0 1000/– के आस–पास आता था, पुराने विद्युत मीटर को स्मार्ट में बदलने के पश्चात् वर्तमान का बिल रूपये 24,413/– का आया है जोकि बिलकुल भी सही नही है।

महोदय मेरे पति का निधन 02.07.2020 हो गया था, उनके पश्चात् मेरे द्वारा ही अपने बच्चों का लालन–पालन किया जा रहा। मेरे घर की विद्युत खपत इतनी है ही नही जितना बिल भेजा गया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा विभाग को भी गयी, किन्तु कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 686, दिनांकित 01/09/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन एक किलोवाट विद्युत भार (स्वीकृत) का घरेलू विद्या में नरेन्द्र कुमार के नाम से संयोजित है। उक्त संयोजन का विद्युत बिल माह 04/2025 में रीडिंग (24688 – 24810) = 122 यूनिट पर रू0 933.00 था जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.05.2025 को जमा कर दिया गया था। दिनांक 05.05.2025 को उक्त सयोजन पर स्थापित पुराना मीटर संख्या EL6316 को नये स्मार्ट मीटर संख्या 5579094 के द्वारा बदला गया। पुराने मीटर की अन्तिम रीडिंग 27985 पायी गयी। इस प्रकार पुराने मीटर पर 27985 – 24810 = 3175 यूनिट अवशेष थी। माह 06/2025 में पुराने मीटर की अवशेष 3175 यूनिट सहित नये मीटर की रीडिंग 245 कुल अवशेष यूनिट मिलाते हुए विद्युत बिल अधिक धनराशि का निर्गत हुआ। माह 08/2025 में रीडिंग 245 –784 = 810 यूनिट पर विद्युत बिल पिछली अवशेष धनराशि सहित रू0 25038.00 का बना है। साथ ही अवगत कराना है कि माह 04/2025 में MD 5.00 कि0वा0 व 08/2025 में MD 1.797 कि0वा0 प्रदर्शित हो रही है। वर्तमान में उक्त संयोजन के विद्युत बिल पर माह 08/2025 तक कुल अवशेष धनराशि रू0 25038.00 अवशेष है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26.04.2025 से 11.06.2025 अर्थात् 46 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 3420 यूनिट (3175 यूनिट पुराने मीटर + 245 यूनिट नये मीटर) का रू0 24413.00

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण ग
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.2.1(2)* के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीर्टड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह जून 2025 मे 3420 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि मीटर रीडर द्वारा एक लंबी अवधि से परिवादी को 200–250 यूनिट प्रतिबिल चक्र मीटर यूनिट के आधार पर जारी किये जा रहे थे, परन्तु मीटर परिवर्तित किये जाने के उपरान्त परिवादी को एक विद्युत बिल चक्र 08/2025 में 539 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा वास्तविक खपत से कम रीडिंग के बिल परिवादी को प्रेषित किये जा रहे थे।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के उपरान्त मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी एवं बिल चक्र 06/2025 में पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने के बाद एकाएक 1 किलोवाट संयोजन पर 46 दिनों की अवधि में 3420 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है,(प्रतिदिन 74.34 यूनिट) जो कि माननीय् ***UERC*** के उपरोक्त विनियमों का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित पुराने विद्युत मीटर की रीडिंग 3175 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 04/2025, 02/2025 एवं 12/2024 की औसत खपत 152 यूनिट (122+178+155/3=151.66 यूनिट) पर सशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित पुराने विद्युत मीटर की रीडिंग 3175 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 04/2025, 02/2025 एवं 12/2024 की औसत खपत 152 यूनिट (122+178+155/3=151.66 यूनिट) पर सशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर सशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि

provisional billing एवं accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/09/

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 48/2025

Shri. Ramesh Rautela **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 22.09.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 22.09.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्त (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 5265 दिनांकित 19.09.2025 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा अपने विद्युत संयोजन के सापेक्ष खराब नेटवर्क कनेक्शन या किसी अन्य कारण से गलती से बिल दो बार भुगतान हो गया है। अतः मंच से निवेदन है कि उनके खाते से काटी गई राशि रू0 842.00 वापिस किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 5265 दिनांकित 19.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि:—

"उपभोक्ता का कन्जयूमर लेजर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 19.08.2025 को रू0 842.00 दो बार क्रडिट हुये है। ऑनलाईन पैमेन्ट होने के कारण उक्त के संबंध में उपाकलि0 के ऑनलाईन पैमेन्ट सेल के मेल upclonlinepayment@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में लिखा गया। जिसके पश्चात् ऑनलाईन पैमेन्ट सेल द्वारा ई—मेल के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया गया कि उपभोक्ता से वार्ता कर यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ता विद्युत बीजक के सापेक्ष जमा की गयी अतिरिक्त धनराशि रू0 842.00 को वापिस लेना नहीं चाहता। अतिरिक्त धनराशि को इस माह के विद्युत बीजक में समायोजित किया जायेगा।"

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 49/2025

श्रीमती रानी देवी — परिवादी
निवासी– सभावाला, हर्बटपुर,
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.09.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि उपभोक्ता श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र, निवासी सभावाला (विद्युत संयोजन संख्या VN1615066306) का कथन है कि उनका बिल दिनांक 27.05.2025 से 08.07.2025 6656 यूनिट का आया है। जिसका निर्धारण रू0 53,143.00 का है तथा इससे पूर्व प्रत्येक महीने का उपयोग लगभग 450 यूनिट है। इस सम्बन्ध में परिवादी ने मीटर की एम.आर.आई. कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी को शकायती पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु लाईन मैन बिना मीटर की एम0आर0आई0 कराये बगैर मीटर उतार ले गये परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया गया है कि उनका बिल ठीक कराया जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 5028, दिनांकित 06/09/2025 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN11615066306 है, जिसका विद्युत भार–2.00 कि0वा0 है।
2. उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर दिनांक 30.07.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया, जिसको दिनांक 18.08.2025 को उतारा गया। चैक मीटर के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर सही चलता पाया गया।
3. उपभोक्ता को बीजक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है, जो कि सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 27.05.2025 से 08.07.2025 अर्थात् 42 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 6659 यूनिट (6659/42 = 158.54 यूनिट प्रतिदिन) का बिल रू0 53143.00 का निर्गत किया परिवादी के अनुसार उनकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.2.1(2)* के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह जुलाई 2025 मे 6659 यूनिट का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 27.05.2025 से 08.07.2025 (42 दिन) तक कुल 6659 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जो कि 158.54 यूनिट प्रति दिन खपत दर्शाता है। पत्रावली मे उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त 158.54 यूनिट प्रति दिन की इतनी अत्यधिक खपत पूर्व में कभी भी परिवादी द्वारा नहीं की गई।

मंच ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं क़ज्यूमर हिस्ट्री का मिलान किया गया एवं पाया कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार वर्तमान *KWH* निम्नवत् दर्शायी गयी है दिनांक 27.05.2025 को 30464 *KWH*, दिनांक 26.03.2025 को 29700 *KWH*, दिनांक 28.01.2025 को 29166 *KWH* एवं दिनांक 27.11.2024 को 28761 *KWH* एवम् एम0आर0आई0 के अनुसार वर्तमान *KWH* निम्नत् है:– दिनांक 01.06.2025 को 36498 *KWH*, दिनाक 01.04.2025 को 35514.23 *KWH*, दिनांक 01.02.2025 को 34814.33 *KWH* एवं दिनांक दिनांक 01.12.2024 को 34376.86 *KWH*। उपरोक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं कंज्यूमर हिस्ट्री के तुल्नात्मक विशलेषण से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी जिस कारण बिल चक्र 07/2025 में पूर्व मीटर रीडिंग 30464 *KWH* एकाएक 42 दिनों में दिनांक 08.07.2025 को 37123 *KWH* हो गई अर्थात इस अवधि में 2*KW* संयोजन पर 6659 यूनिट विद्युत खपत का बिल परिवादी को निर्गत किया गया। वास्तविक खपत से कम विद्युत खपत का बिल निर्गत करना माननीय् *UERC* के उपरोक्त विनियम का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह जुलाई 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 05/2025, 03/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 568 यूनिट (764+534+405/3=567.66 यूनिट) पर संशोधित होने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह जुलाई 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 05/2025, 03/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 568 यूनिट (764+534+405/3=567.66 यूनिट) पर सशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 के विशलेषण से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण मीटर में यूनिट जमा हो गई जो की पुराने मीटर को सोलर मीटर से बदले जाने के पूर्व बिल चक्र 07/2025 में उजागर हुई। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing/accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/09/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/09/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य